न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 177 / 2025 बउनवानी रहीस खान **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री नामदार खॉन निवासी व तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2025/346

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **अति0 सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के पत्रांकःप.14 सर्तकता / परि / 2025 दिनांक का पत्र आपको भिजवाया जा रहा है की पालना में प्रार्थी को रोगोउचार के लिए 6000 / —रू का चैक कब तक दिलाऐगें की स्पष्ट सूचना**" अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(138)सूकाअ / 2025 / 1363 दिनांक 18.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.8.2025 मे चाही गयी सूचना (अति0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के पत्र के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को सर्तकता अनुभाग द्वारा लिखे गये पत्र क्रमांक प.(2)191 / सं.आ.परिवाद / स.मा. / सतर्कता / 2025 / 4296 दिनांक 18.6.2025 की प्रति) लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.(1)(127) / सूकाअ / 2025 / 1033 दिनांक 3.9.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.(1)(127) / सूकाअ / 2025 / 1033 दिनांक 3.9.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	